न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **54/24 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No : 2024/230

1. श्री MACSEN INFRATECH PRIVATE LIMITED उदयपुर पता फ्लैट नम्बर 302 तीसरी मंजिल शिवम रेसीडेंसी दुर्गा नर्सरी रोड़ उदयपुर, तहसील गिर्वा जरिये अधिकृत परसन दर्शन असावा पुत्र मधुसुदन असावा जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी 212 रिद्धी सिद्धी पार्क न्यू नवरत्न काम्प्लेक्स भुवाना उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)
2. MACSEN INFRATECH PRIVATE LIMITED उदयपुर पता फ्लैट नम्बर 302 तीसरी मंजिल शिवम रेसीडेंसी दुर्गा नर्सरी रोड़ उदयपुर, तहसील गिर्वा जरिये अधिकृत परसन विशाल जैन पुत्र ओमप्रकाश जैन, उम्र वयस्क, निवासी 2/377 गोवर्धन विलास एच.बी. कॉलोनी उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)

............प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. पटवारी, पटवार हल्का साकरोदा, तह०मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. श्री ओमप्रकाश पुत्र उदयलाल जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी साकरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. कलावती पुत्री उदयलाल जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी साकरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. कामधेनु सेवा संस्थान नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज०) रजि.नं. 22/राजसमन्द 2009 जरिये :–

5/1 अध्यक्ष निशान्तकृष्ण शर्मा पिता मदनमोहन शर्मा, उम्र वयस्क, निवासी बिच्छुमगरी नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)

5/2– संस्थान प्रधान रजनीकान्त पिता चुन्नीलाल गुर्जर निवासी नाथुवास, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)

5/3 सचिव प्रभुलाल पिता स्व० दयाराम गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी साकरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

5/4– कार्यकारी सदस्य महेश गुर्जर पिता दामोदर गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी नाथुवास, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)

6. श्री जगदीश पुत्र उदयलाल जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी साकरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. श्रीमती दाखुबाई पत्नी उदयलाल जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी साकरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. श्रीमती नर्बदा पत्नी लीलाधर जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी साकरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. श्री मुकेश पालीवाल पुत्र लीलाधर जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी साकरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:43:03 IST
Reason: SelfAttested

10. श्री मदन पुत्र उदयलाल जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी साकरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. मायादेवी पुत्री लीलाधर जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी साकरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
12. श्री ललित पुत्र उदयलाल जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी साकरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
13. संतोष देवी पुत्री लीलाधर जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी साकरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
14. श्री सुरेश पुत्र उदयलाल जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी साकरोदा तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
15. श्री हरीश पुत्र उदयलाल जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी साकरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............विपक्षीगण

उपस्थित—1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: निर्णय :—

दिनांक : 17.12.2024

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा साकरोदा पटवार हल्का साकरोदा की परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 633, 634, 635 किता 3 कुल रकबा 5.3985 हेक्टेयर उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी संख्या 1/10 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2/5 हिस्सा एवं खातेदार प्यारेलाल पिता मगनीराम ब्राहम्ण के नाम 7/24 हिस्सा, श्रीलाल पिता मगनीराम ब्राहम्ण के नाम 5/24 हिस्सानुसार संयुक्त खातेदारी हक से अंकित है। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 3092/620 रकबा 1.7078 हेक्टेयर उक्त वर्णित आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में राज्य सरकार के नाम पर किस्म चारागाह के रूप में अंकित हैं।

2. यहकि हम प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमियों के पश्चिमी दिशा के सटमा किस्म रास्ता आराजी नम्बर 628 स्थित है जिसके दक्षिणी मुहाने के सटमा साकरोदा से सालेराखुर्द आवागमन करने की डामरीकृत सड़क बनी हुई हैं जो कि परिशिष्ट (ब) में अंकित आराजी [illegible] है तथा साकरोदा से सालेराखुर्द आवागमन करने की सड़क की पूर्वी सीमा से शुरू होकर किस्म रास्ता आराजी नम्बर 628 की पश्चिमी सीमा तक 30 फीट चौड़ा रास्ता परिशिष्ट ब में अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:43:03 IST
Reason: SelfAttested

चारागाह भूमि में बना हुआ है जिससे होकर हम प्रार्थीगण किस्म रास्ता आराजी नम्बर 628 पर पहुँचते है तथा आगे किस्म रास्ता आराजी नम्बर 628 से होकर हमारी कृषि भूमि पर आवागमन करते आ रहे है जो रास्ता हमारी खातेदारी की कृषि भूमि के पश्चिमी सीमा के सटमा बना हुआ होकर दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है। मैं प्रार्थी एवं पूर्वाधिकारी हमारी उक्त वर्णित कृषि भूमि पर कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी, ट्रेक्टर द्वारा इसी मार्ग से लाते ले जाते आ रहे है तथा वर्तमान में भी हमारी जमीन पर आवागमन के लिए इसी रास्ता का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी कृषि भूमि पर आवागमन करने या कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी, ट्रेक्टर लाने–ले–जाने का कोई मार्ग उपलब्ध नही है और न ही कभी रहा है। चरागाह आराजी नम्बर 3092/620 में साकरोदा से सालेराखुर्द आवागमन करने की डामरीकृत सड़क पूर्व के राजस्व नक्शे में दर्ज है तथा मौके पर वर्षो से उक्त आम सड़क का आवागमन करने के लिये प्रयोग होता आ रहा है लेकिन वर्तमान नक्शे में उक्त सड़क फीड नही हुई हैं।

3. यहकि हम प्रार्थीगण के पास परिशिष्ट (अ) में वर्णित कृषि भूमि में प्रवेश करने के लिये परिशिष्ट (ब) में वर्णित आराजी नम्बर 3092/620 की भूमि में बने रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है और न ही कभी कोई वैकल्पिक मार्ग रहा है। उक्त रास्ते को संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया हैं।

4. यहकि सदीप से हमारी कृषि आराजी में आवागमन करने के लिये 30 फीट चौड़ा मार्ग मुख्य रास्ते से होकर रास्ते के पूर्वी दिशा में स्थित परिशिष्ट (ब) में अंकित भूमि के बीच खाली पड़ी भूमि पर रहा है तथा वर्तमान में भी यही मार्ग है और इसी मार्ग से होकर हम एवं पूर्वाधिकारी उक्त वर्णित कृषि भूमि पर सदीप से कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी, ट्रेक्टर द्वारा लाते ले जाते रहे है। इसके अलावा हमारी कृषि भूमि में आवागमन करने के लिये कोई मार्ग नही है। इसलिये हम प्रार्थीगण की परिशिष्ट (अ) में अंकित कृषि भूमि पर आवागमन करने के लिये मुख्य रास्ते से परिशिष्ट (ब) में वर्णित भूमि के बीच में 30 फीट चौड़ा रास्ता रिकोर्डेड कायम कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है और इस भूमि में रिकोर्डेड मार्ग कायम किये जाने में जो भी व्यय होगा वह एवं रास्ता बाबत् ली जाने वाली भूमि की कीमत हम प्रार्थीगण न्यायालय के आदेशानुसार जमा/वहन करने को तैयार एवं तत्पर है तथा यदि किस्म [illegible] चरागाह भूमि होने से इसकी मालियत आंकी नहीं जा सकें तो चरागाह भूमि में रास्ता हेतु दी जाने वाली भूमि के समान ही हम प्रार्थीगण हमारी आराजी नम्बर 635 के दक्षिण पूर्व की भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:43:03 IST
Reason: SelfAttested

राज्य सरकार को समर्पित किये जाने हेतु भी तत्पर एवं तैयार हैं जिसकी किस्म चारागाह दर्ज की जावें।

5. यहकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 08.01.2012 को संशोधन कर नयी धारा 251 (क) अन्तःस्थापित कर अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग का विस्तार कराने का अधिकार दिया गया है। यदि किसी खातेदार द्वारा अवरोध किया जाता है तो न्यायालय के द्वारा आदेश प्राप्त कर अपने खेतो तक पहुँचने के लिये नया मार्ग बनाने एवं विद्यमान मार्ग को चौड़ा कराने का प्रावधान दिया गया है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

6. यहकि हम प्रार्थीगण का मजबूत प्राइमाफैसी केस होकर सुविधा सन्तुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दु भी हमारे पक्ष में है। क्योंकि परिशिष्ट (अ) में अंकित कृषि भूमि पर जाने–आने के लिये परिशिष्ट (ब) में अंकित भूमि पर निर्मित सडक के पूर्वी भू भाग पर बने हुवे रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है और हम एवं इस भूमि के पूर्वाधिकारी सदीप से इसी रास्ते से होकर इस कृषि भूमि में आवागमन करते आ रहे है और इस भूमि में नियमानुसार रिकोर्डेड रास्ता कायम किये जाने से किसी भी व्यक्ति को असुविधा अथवा क्षति नही होगी बल्कि इस जमीन में रिकोर्डेड रास्ता कायम नही किये जाने से इस सरकारी भूमि पर अतिक्रमी अतिक्रमण करेगें और रास्ते को भी अवरूद्ध कर देगें जिससे हम प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगें तथा कई परेशानीयों एवं दिक्कतो का सामना करना पड़ेगा और इससे हम प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति एवं हानी होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में आंका जाना सम्भव नही होगा।

7. यहकि हम प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 24–05–2024 को उत्पन्न हुआ जब हमने विपक्षीगण से हमारी परिशिष्ट (अ) में अंकित कृषि भूमि पर पहुँचने के लिये परिशिष्ट (ब) में वर्णित राजकीय भूमि में रास्ता नियमानुसार शुल्क जमा कर कायम करने बाबत् निवेदन किया तो विपक्षीगण ने माननीय न्यायालय आपमें मुकदमा कर रास्ता कायम कराने की बात कही और कोई कार्यवाही नही की, तभी से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

8. अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के [illegible] में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न आशय का आदेश प्रदान कराया जावे कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ में वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:43:03 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात पर पहूंचने के लिए परिशिष्ट ब में अंकित भूमि पर संलग्न नक्शें में चिन्हित अनुसार भू भाग पर 30 फीट चौडा रास्ता कायम किया जावे एवं उक्त भूमि में कायम किये गये मार्ग का राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शें में रास्ता के रूप में अमल दरामद व तरमीम किये जाने हेतु आदेशित किया जावें। उक्त भूमि में रास्ता कायम किये जाने बाबत् होने वाला समस्त व्यय एवं रास्ता बाबत् ली जाने वाली भूमि की कीमत न्यायालय के आदेशानुसार हम प्रार्थीगण जमा/वहन करने को तैयार हैं।

9. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा आराजी नम्बर 3092/620 किस्म चारागाह में से रास्ता कायम करने हेतु निवेदन किया गया है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–3) विभाग के क्रमांक.प.2 (151) राज 3/2012 दिनाक 03.02.2023 से चारागाह भूमि से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ गै.मु. रास्ता एवं संपरिवर्तन चाहने वाले काश्तकार की भूमि को चारागाह दर्ज किये जाने के संबंध में निर्देश दिए गए की निजी खातेदार को सपरिवर्तन के लिए आवश्यक पहुंच मार्ग हेतु चारागाह भूमि में से रास्ता दिया जाना विधि सम्मत नहीं है। यह कि उक्त रास्ता चारागाह भूमि में से दिया जाना विधि सम्मत नहीं होने के कारण आराजी नम्बर 642 रकबा 1.4731 किस्म बीड़ जोकि खातेदार ओमप्रकाश पुत्र उदयलाल 1/150 जाति ब्राहम्ण सा देह वगैरह में से प्रस्तावित किया गया है। यह कि प्रार्थीगण खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्ताविंत रास्ता न्यूनतम दूरी का है। रास्ता की चौड़ाई 30 फिट प्रस्तावित की गई हैं। प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि आराजी नम्बर 642 खातेदारी में से 0.2364 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 628 किस्म बा. द्वितीय बिलानाम में से 0.0084 हेक्टेयर भूमि है। वर्तमान डी. एल.सी दर 11,68,415 रूपये प्रति हेक्टेयर अनुसार खातेदारी आराजी नम्बर 642 में से प्रस्तावित भूमि 0.2364 हेक्टेयर का मूल्यांकन 2,76,214 रूपये बनता है तथा डीएलसी की दुगुनी दर से जमा योग्य राशि 5,52,428 रूपये बनती है तथा आराजी नम्बर 628 रकबा 0.0084 हेक्टेयर किरम बिलानाम का मूल्याकन राशि 9,815 रूपये बनती है। डीएलसी की दुगुनी दर से जमा योग्य राशि 19,630 रूपये बनती है। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट के साथ भू अभिलेख निरीक्षक साकरोदा की रिपोर्ट मौका नक्शा ट्रेस एवं नकल जमाबंदी मूल ही संलग्न कर श्रीमान् जी की सेवा में उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं। तहसीलदार मावली द्वारा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता प्रस्तावित नहीं कर अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:43:03 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता प्रस्तावित किये जाने से प्रभावित खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाकर नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 3, 4, 6 से 15 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी सं. 5/1 से 5/4 कामधेनु सेवा संस्थान की ओर से 5/2 द्वारा उपस्थित होकर तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की।

10. अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

11. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए अनुसार नवीन रास्ता स्वीकृत करने से पहले यह समाधान होना आवश्यक है कि प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है साथ ही नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) होनी चाहिये, न कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये और द्वितीय यह कि विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम साकरोदा पटवार हल्का साकरोदा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 308 पर दर्ज आराजी नम्बर 633, 634, 635 किता 3 कुल रकबा 5.3985 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त अपनी भूमि पर पहुंचने हेतु चारागाह भूमि में से रास्ता चाहा गया था परन्तु राजस्व ग्रुप–3 विभाग के पत्रांक प.2(151)राज–3/2022 जयपुर दिनांक 03.02.2023 निजी खातेदार को चारागाह भूमि में से रास्ता दिया जाना विधि सम्मत् नहीं बताया। प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंचने के लिए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 642 रकबा 1.4731 हेक्टेयर किस्म बीड एवं बिलानाम आराजी नम्बर 628 रकबा 0.2347 हेक्टेयर किस्म बारानी तृतीय से ही होकर पहुंचा जा सकता हैं जबकि उक्त भूमि में से रेकार्डेड रास्ता नहीं हैं। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार विधि सम्मत् सबसे नजदीक रास्ता उक्त भूमि में से ही दिया जा सकता हैं। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंचने के लिये कोई रास्ता नही है। प्रस्तावित रास्ता में जानी वाली भूमि की रकबा आराजी नम्बर 642 में से 0.2364 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 628 में से 0.0084 हेक्टेयर भूमि है। जिसकी चौडाई 30 फीट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:43:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तावित की गई हैं। प्रार्थीगण उक्त रास्ते की नियमानुसार राशि प्रदान कर रास्ता कायम करवाना चाहता है। प्रार्थीगण की भूमि पर जाने हेतु अन्य कोई रेकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता चाहने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) प्रतीत होती है। चुंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प.13(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार यदि आवेदक को मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है तो उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि बिलानाम भूमि की भू. अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में अंकित मूल्यांकन रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

क्र.स.	नाम खातेदार	डी.एल.सी.दर अनुसार राशि रूपये में	डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि
1	ओमप्रकाश पिता उदयलाल 1/50 हिस्सा	1841	3682
2	कलावती पुत्री उदयलाल 1/150 हिस्सा	1841	3682
3	कामधेनु संग संस्थान नाथद्वारा हिस्सा 47/50	259646	519292
4	जगदीश पिता उदयलाल 1/150 हिस्सा	1841	3682
5	दाखुबाई पत्नी उदयलाल 1/150 हिस्सा	1841	3682
6	नर्बदा पत्नी लीलाधर 1/600 हिस्सा	460	920
7	मुकेश पिता लीलाधर 1/600 हिस्सा	460	920
8	मदन पिता उदयलाल 1/150 हिस्सा	1841	3682
9	मायादेवी पुत्री लीलाधर 1/600 हिस्सा	460	920
10	ललित पिता उदयलाल हिस्सा 1/150 हिस्सा	1841	3682
11	संतोषदेवी पुत्री लीलाधर 1/600 हिस्सा	460	920
12	सुरेश पिता उदयलाल 1/150 हिस्सा	1841	3682
13	हरीश पिता उदयलाल 1/150 हिस्सा	1841	3682
14	बिलानाम भूमि की राशि	9815	19630

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:43:03 IST
Reason: SelfAttested

:: आदेश ::

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम साकरोदा पटवार हल्का साकरोदा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 113 पर दर्ज आराजी नम्बर 642 रकबा 1.4731 हेक्टेयर भूमि में से 0.2364 हेक्टेयर अर्थात् 2364 वर्गमीटर एवं खाता संख्या 1 पर दर्ज आराजी नम्बर 628 रकबा 0.2347 हेक्टेयर भूमि में से 0.0084 हेक्टेयर अर्थात् 84 वर्गमीटर भूमि जो संलग्न नक्शा ट्रेस में पीले रंग से दर्शायी गई है को बिलानाम गै.मु.रास्ता घोषित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार मावली को आदेश दिए जाते है कि उक्त रास्ते हेतु प्रयुक्त भूमि की कुल कीमत 2,86,029/– का दुगुना 5,72,058/– रूपयें अक्षरे पांच लाख बहत्तर हजार अठावन रूपयें राशि प्रार्थीगण से वसूल कर बिलानाम भूमि की राशि 19,630/– रूपये नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जावे तथा शेष राशि खातेदारों को निम्नानुसार प्रदान की जावें।

क्र.स.	नाम खातेदार	डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि जो खातेदारों की दी जानी है
1	ओमप्रकाश पिता उदयलाल 1/50 हिस्सा	3682
2	कलावती पुत्री उदयलाल 1/150 हिस्सा	3682
3	कामधेनु संग संस्थान नाथद्वारा हिस्सा 47/50	519292
4	जगदीश पिता उदयलाल 1/150 हिस्सा	3682
5	दाखुबाई पत्नी उदयलाल 1/150 हिस्सा	3682
6	नर्बदा पत्नी लीलाधर 1/600 हिस्सा	920
7	मुकेश पिता लीलाधर 1/600 हिस्सा	920
8	मदन पिता उदयलाल 1/150 हिस्सा	3682
9	मायादेवी पुत्री लीलाधर 1/600 हिस्सा	920
10	ललित पिता उदयलाल हिस्सा 1/150 हिस्सा	3682
11	संतोषदेवी पुत्री लीलाधर 1/600 हिस्सा	920
12	सुरेश पिता उदयलाल 1/150 हिस्सा	3682
13	हरीश पिता उदयलाल 1/150 हिस्सा	3682

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:43:03 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार राशि राजकोष में जमा कराने एवं खातेदारों को प्रदान करने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। खातेदारों द्वारा राशि नहीं लेने पर नियमानुसार राजकोष में जमा की जावें। इस रास्तें पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:43:03 IST
Reason: SelfAttested